

उत्तेश राजपत्र भाग - २ दिनांक २० अगस्त, १९७६ के पृष्ठ क्रमांक ८४१ में -
शासन की प्रतिलिपि :-

स्थानीय शासन विभाग
भोपाल, दिनांक २२ पुसाव, १९७६

क्र० ४१४-अठारह -- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक २७ सन् १९६१) की धारा ३५७ की उपधारा (३) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा राजनांदगांव जिले की राजनांदगांव नगरपालिका परिषद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा २८३ की उपधारा (१) के खण्ड (क), (ड), (ट) तथा (घ) और धारा २४६ की मध (एक) तथा धारा ३५७ की उपधारा (५) के साथ पठित धारा ३५८ के खण्ड (द) के उपखण्ड (ग) की मध (चार) के अधीन बनाई गई निम्नलिखित उपविधियों को, जो उक्त अधिनियम की धारा ३५७ की उपधारा (४) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित की जा चुकी है, पुष्टि करता है, अर्थात् :-

उपविधियाँ

१ (१) ये उपविधियाँ राजनांदगांव नगरपालिका उद्देक निर्माण शाखा (स्थापना निरीक्षण तथा अनुज्ञापन) उपविधियाँ, १९७६ कहलायेंगी।

(२) ये संपूर्ण नगरपालिका पर लागू होंगी।

(३) ये उनके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त हों

२ इन उपविधियों के प्रारम्भ होने से राजनांदगांव नगरपालिका में प्रवृत्त उपविधियों के तत्स्थानीय वे समस्त नियम, आवेदन तथा उपविधियाँ, व इन उपविधियों के प्रारम्भ होने के अव्यवहित पूर्व वृत्त हों, निरस्त हो जायेंगे :

परन्तु इस प्रकार निरस्त किये गये नियमों, आवेदनों तथा उप के अधीन की गई कोई भी बात या कोई कार्यवाही जब तक कि वह इन विधियों के उपबंधों से अखंड न हो, इन उपविधियों के तत्स्थानीय के अधीन की गई व्यवस्था जायेंगी।

३ इन उपविधियों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'मुख्य नगरपालिका अधिकारी' से अभिप्रेत है नगरपालिका परिषद् राजनांदगांव का मुख्य नगरपालिका अधिकारी ;

(ख) 'परिषद्' से अभिप्रेत है नगरपालिका परिषद्, रा

- (घ) 'अनुशासन पदाधिकारी' से अभिप्रेत है परिणाम का मुख्य नगरपालिका, पदाधिकारी या इस संबंध में परिणाम द्वारा प्राधिकृत परिणाम का कोष अन्य पदाधिकारी ;
- (ङ) 'उद्देश्य निर्माण शाखा' से अभिप्रेत है जारा मिल, बाल मिल, आटा मिल, चावल मिल, तेल मिल, कपास बाँटना तथा पीछनी (काटन निर्माण प्रेश मिल, छातर मशीन, अन्य कारखाने और कर्मशाखा (कर्मशाखा) ;
- (च) 'उद्योग' से अभिप्रेत है नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किसी स्थान का खाना या दलहनगार ।

कोई भी उद्योग, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किसी स्थान का उद्देश्य निर्माण शाखा के प्रयोजन के लिये इन उपविधियों के अधीन इस संबंध में मंजूर की गयी अनुशक्ति के बिना या इस प्रकार मंजूर की गई अनुशक्ति की शर्तों के अनुसार के अतिरिक्त उपयोग में नहीं लायेगा ।

अनुशक्ति के लिए उपविधि ६ में विहित फीस के साथ आवेदन - पत्र प्राप्त होने पर अनुशासन पदाधिकारी या को इस उपविधियों से संलग्न प्रारूप में अनुशक्ति मंजूर कर सकेगा या अनिलिखित किये जाने वाले कारणों से उसे मंजूर करने से इंकार कर सकेगा ।

अनुशक्ति मंजूर करने के लिए फीस निम्नलिखित दरों से प्रसारित की जायेगी :—

				रुपये प्रतिवर्ग
(क) राखस मिल	--	--	--	१५०-००
(ख) बाल मिल	--	--	--	१००-००
(ग) जारा मिल	--	--	--	१००-००
(घ) तेल मिल	--	--	--	१००-००
(ङ) आटा मिल	--	--	--	१००-००
(च) प्रति छातर मशीन	--	--	--	२५-००
(छ) पीछनी मिल	--	--	--	२५-००
(ज) कपास बाँटना तथा पीछनी मिल	--	--	--	१००-००
(घ) गन्ना चलाक	--	--	--	२५-००
(व) सक्कर मिल	--	--	--	१५-००
(झ) अन्य कारखाने या कर्मशाखा	--	--	--	१००-००
				२५-००

इन उपविधियों के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुशक्ति उसके जारी के दिनांक से आगामी २२ माह की समाप्त होने वाली कालावधि

- ८- इन उपविधियों के अधीन एक बार मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, जो निर्दिष्ट या रद्द न की गई हो आवेदन किये जाने पर उपविधि ६ में विनिर्दिष्ट - की गई पाँच के मुगलान पर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा नवीकृत की जा सकेगा। नवीकरण के लिये आवेदन - पत्र प्रति वर्ष १५ मार्च के पूर्व दिया जायेगा तथा उसके साथ नवीकृत की जाने वाली अनुज्ञप्ति संशुद्ध की जायेगी।
- ९- यदि इन उपविधियों के अधीन मंजूर या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति किन्हीं हो जाय या गुम जाय या नष्ट हो जाय तो अनुज्ञापन पदाधिकारी ऐसा - कार्य करने के पश्चात् चेता कि वह आवश्यक समझे यदि रुझी फॉस का - मुगलान किये जाने पर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा।
- १०- अनुज्ञापन पदाधिकारी अपने तथा प्वाप्ति कारणों से अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इंकार कर सकेगा और अनुज्ञप्तिकारी द्वारा इन उपविधियों का किन्हीं में बाधताओं से या अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों के उल्लंघन करने पर या - किन्हीं भी अन्य या प्वाप्ति कारणों से इस प्रकार मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति को निरस्त या रद्द कर सकेगा। ऐसा निरस्त या रद्दकरण अनुज्ञप्तिकारी को उसके संबंध में मुगलान की गई किसी फॉस की वापसी के दावे के लिये उत्तरदायी नहीं बनायेगा।
- ११- अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इंकार करने वाला या पूर्व में ही मंजूर की गई - अनुज्ञप्ति को रद्द करना या निरस्त करने वाला प्रत्येक आदेश किन्हीं में विनिर्दिष्ट किया जायगा तथा उसमें ऐसे आदेश के लिये कारणों का संक्षिप्त विवरण जन्तर्विष्ट होगा। ऐसे आदेश की प्रतिका, उसके प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क प्रदाय दिया जायेगा।
- १२- बारा मिल, दास मिल, बाटा मिल, ले मिल, कपास कोटनी तथा पीछू (काटन विमिंग प्रेस) मिल, छतर मशीन कारखानों तथा कर्मशाखाओं के लिये मंजूर की गई अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी होगी:-
- (एक) वह भवन जिसमें बारा मिल, दास मिल, बाटा मिल, बाँसल मिल, ले मिल कपास कोटनी तथा पीछू (काटन विमिंग प्रेस) मिल, छतर मशीन, कारखाना या कर्मशाखा स्थित हो, प्वाप्ति मजदूर का दूताधार होगा;
- (दो) उक्त भवन समुचित मरम्मत में रखा जायेगा और मशीन की सुरक्षा का वाढ़ लगाकर रखा जायगा;
- (तीन) उस दशा में जबकि मिले या मशीन बाध्य संज्ञि द्वारा सहायी या कि ई पिमनी ३० मीटर की परिधि में स्थित उच्चतम भवन से कम से कम ५

(पांच) मिल के इंजिन या मशीन को परिणद् द्वारा नियत समय से अधिक समय नहीं चलाया जायेगा ;

(छः) परिसरों में किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी संक्रामक या सार्वजनिक रोग से पीड़ित हो नियोजित नहीं किया जायेगा ।

(सात) अनुज्ञापितकारी, मिल और उसके परिसरों को स्वच्छ दशा में रखेगा ;

(आठ) अनुज्ञापितकारी, मिल को इस प्रकार नहीं चलायेगा जिससे भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५ सन् १८६०) की धारा २६८ में परि - माणित किये गये अनुसार दंड्यता उत्पन्न हो ;

(नौ) अनुज्ञापितकारी मिल, कारखाना, कर्मशाला तथा उसकी परिसरों को स्वच्छ दशा में रखने के प्रयोजनों के लिये अनुज्ञापन पदाधिकारी के समस्त लिखित आदेशों को पालन करेगा ;

(दस) अनुज्ञापित अदस्तांतरणीय होगी ।

१३- इन उपविधियों के अधीन अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश से व्यधित कोई भी व्यक्ति, उसको आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, परिणद् को अपील कर सकेगा ।

१४- अनुज्ञापन पदाधिकारी या इस संबंध में परिणद् द्वारा प्राधिकृत किया गया परिणद् का कोई अन्य पदाधिकारी समस्त युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञापित परिसरों का निरीक्षण कर सकेगा और अनुज्ञापितकारी उक्त परिसर का निरीक्षण करने के लिये और यह अभिनिश्चित करने के - लिये कि इन उपविधियों की समस्त अपेक्षाओं का सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है, प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा ।

१५- उद्देशक निर्माणशाला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित होगी या ऐसे अन्य स्थानों पर स्थित होगी जिसे कि परिणद् द्वारा अनुज्ञापित किया जाय

१६- विद्यमान उद्देशक निर्माण शाला को औद्योगिक क्षेत्र में या इस प्रयोजन के लिये पुनर्गठित गये स्थान में स्थानांतरित किये जाने हेतु युक्तियुक्त समय दिया जायेगा ।

१७- इन उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों का मंग ऐसे कुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और जब मंग निरन्तर प्र का हो तो ऐसे और कुर्माने से , जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये , जिसमें मंग का लगातार किया जाना सिद्ध हो , ५ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

अनुज्ञप्ति का प्रारूप
(उपविधि ५ देखिये)

अनुज्ञापन क्रमांक.....

नगरपालिका की सीमाओं के भीतर उद्देवक निर्माण शाला के लिये स्थान का उपयोग में लाने हेतु अनुज्ञप्ति ।

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और राजनायगांव नगरपालिका उद्देवक निर्माणशाला - (स्थान विरोधाभा तथा अनुज्ञापन) उपविधियाँ, १९७६ के अध्याधीन रहते हुए श्री..... कात्मब..... को..... रुपये की अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करने पर, उक्त उपविधियों में वर्णित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, स्थान..... की बाई क्रमांक.....में स्थित है और जिसका माप.....है, उद्देवक निर्माण शाला के प्रयोगन हेतु उपयोग में लाने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुए, एतद्वारा अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है ।

यह अनुज्ञप्ति दिनांक..... से..... तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) प्रवृत्त रहेगी । जाब दिनांक..... १९७७ को मंजूर की गई ।

शर्तें

- (एक) वह भवन जिसमें जारा मिल, दात मिल, काटा मिल, चांबल मिल, तेल मिल, कपास बोटनी तथा पीछनी (काटन बिनिंग प्रेस) मिल, हलर मशीन कारखाना या कर्मशाला स्थित हों, पर्याप्त मजबूत तथा दृढ़ाधार होगा;
- (दो) उक्त भवन समुचित मरम्मत में रखा जावेगा और मशीन को सुरक्षित तथा बाढ़ लगाकर रखा जावेगा ;
- (तीन) उस दशा में जबकि मिलें या मशीनें वाष्प इंजिन द्वारा चलायी जाती हों बिननी ३० मीटर की परिधि में स्थित उच्चतम भवन से कम से कम पांच मीटर ऊंची होगी ;
- (चार) मिल या हलर मशीन के इंजिन में कार्यरत ध्वनि अवरोधक फिट किया जाये --
- (पांच) मिल के इंजिन या मशीन को परिणद् द्वारा नियत समय से अधिक समय तक नहीं चलाया जावेगा ;
- (छः) परिसरों में किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी संक्रमक या सांसारिक रोग से पीड़ित हो, नियोजित नहीं किया जायेगा;
- (सात) अनुज्ञप्तिद्वारा मिल और उसकी परिसीमाओं को स्वच्छ दशा में रखना ।

- : ६ :-

- (आठ) अनुश्रुतिधारी मिल को इस प्रकार नहीं बताया कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५ सन् १८६०) की धारा २६८ में परिभाषित किये गये अनुसार न्यूसैन्स उत्पन्न हो ;
- (नौ) अनुश्रुतिधारी परिषदों में प्रत्येक मिलिंग प्रक्रिया (मिलिंग प्रोसेस) समाप्त होने के पश्चात् एक मास से अधिक कालावधि के लिये बुराया या क्षिप्त - संचित नहीं होने देगा ;
- (दस) अनुश्रुतिधारी मिल, कारखाना, कर्मशाला तथा उसकी परिसीमाओं को स्वच्छ दशा में रखने के प्रयोजन के लिये अनुज्ञापन पदाधिकारी के समस्त लिखित आदेशों का पालन करेगा ;
- (ग्यारह) अनुश्रुति अहस्तांतरणीय है ।

.....

अनुज्ञापन पदाधिकारी के हस्ताक्षर
नगरपालिका परिषद्,
राजनांदगांव ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

एम०एम०एच०, सचिव।

-- : ० : --

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, राजनांदगांव ।

क्रमांक ५५६९ । सा०प्र०। १२३ । ७६-७७ । राजनांदगांव, दिनांक २६ अगस्त, १९७६।

प्रतिलिपि उपराजस्व निरीक्षक (लाइसेंस) नगरपालिका परिषद्, -
राजनांदगांव को तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

21/8/76

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
राजनांदगांव।

सं- १ जलाल।-

- : - :-